

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

शिवभगवान बनाम तहसीलदार धौद
 किस्म मुकदमा इजराय (11) मु.नं. 37 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
11/12/25	<p>वकील प्रार्थी/डिक्रीदार द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 07/2018 बचनवान शिवभगवान बनाम लालुराम आदि में निर्णय डिक्री दिनांक 26.08.2025 की पालना के संबंध में है।</p> <p>अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 11.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धौद, जिला सीकर</p>
11/1/26	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी/डिक्रीदार (2) पत्रावली रिपोर्ट मु.सं. 07/2018 पत्रावली दिनांक 19/1/26 को पेश हो।</p>
19/1/26	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी/डिक्रीदार (2) मु.सं. 07/2018 पत्रावली रिपोर्ट दिनांक 19/1/26 को पेश हो।</p>
20/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी/डिक्रीदार पत्रावली रिपोर्ट दिनांक 20/01/26 को पेश हो।</p>
20/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी/डिक्रीदार (2) मु.सं. 07/2018 पत्रावली रिपोर्ट दिनांक 20/01/26 को पेश हो।</p> <p>धौद के पत्रावली मु.सं. 07/2018 पत्रावली रिपोर्ट दिनांक 20/01/26 को पेश हो। अतः हस्तगत इजराय में धौद के पत्रावली मु.सं. 07/2018 पत्रावली रिपोर्ट दिनांक 20/01/26 को पेश हो। अतः हस्तगत इजराय में धौद के पत्रावली मु.सं. 07/2018 पत्रावली रिपोर्ट दिनांक 20/01/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धौद जिला-सीकर</p>

